



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
Tel: 022-28294770 फ़ैक्स: 022-28291754,
E-mail : ddcseepz-mah@nic.in, Web-site : www.seepz.gov.in

सं.सीपज़-सेज़/संपदा/डब्ल्यूटीआर/545/2016-17/ 00277

दिनांक 03.01.2018

परिपत्र संख्या 22

विषय:- सभी यूनिटधारकों अथवा जनोपयोगी सेवाओं द्वारा मलबा हटाए जाने के संबंध में ।

इस कार्यालय के दिनांक 03.4.2017 के पूर्ववर्ती परिपत्र संख्या 30 के अनुसरण में सभी यूनिटधारकों तथा जनोपयोगी सेवाओं को सूचित करना है कि इस कार्यालय के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ यूनिट तथा मेसर्स एनएफसीडी अपने द्वारा किराए पर लिए गए ठेकेदारों से सीपज़ - सेज़ परिसर से बिना संपदा अनुभाग, सीपज़ - सेज़ की पूर्व अनुमति लिए तथा बिना सुरक्षा अनुभाग, अभीक्षक तथा सीमा शुल्क अनुभाग को इसकी सूचना दिए मलबा बाहर ले जा रहे हैं, जिसके कारण सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण के अभीक्षकों के लिए इनका रिकॉर्ड रखना तथा मॉनीटर करना कठिन हो रहा है । निर्धारित स्थानों से मलबा हटाए जाने के पश्चात यदि कुछ मलबा वहा रह जाता है, तो इसके लिए न तो यूनिट के ठेकेदार और न ही मेसर्स एनएफसीडी बचे हुए इन मलबों को हटाने के लिए राजी होते हैं ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी यूनिटधारकों तथा मेसर्स एनएफसीडी को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे सीपज़ - सेज़ परिसर से मलबा बाहर ले जाने के लिए संपदा अनुभाग से अनुमति लें अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी ।

यह अध्यक्ष, सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(महेश यादव)

उविआ/संपदा प्रबंधक
सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण

प्रति,

सभी यूनिटधारक तथा जनोपयोगी सेवाएं

प्रतिलिपि:-

1. विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीपज़ - सेज़
2. सहायक सुरक्षा अधिकारी, सीपज़ - सेज़
3. अभीक्षक



भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/WTR/545/2016-17/ 00277

Dated 08/01/2018

CIRCULAR No. 22

Sub: Removal of debris by all unit holders or Public Utilities.

In pursuance to this office earlier Circular No. 30, dated 03/04/2017, it is to inform all unit holders and public utilities that this office has come to know that some of the units and M/s NFCD are allowing to lift the debris to the hired contractors by them to take out the debris from SEEPZ-SEZ premises without having prior permission from Estate Section, SEEPZ-SEZ and without giving intimation to Security Section, Caretakers and Customs Section. It causes improper monitoring by the Caretakers of SEEPZ-SEZ Authority for keeping records of the same. After lifting the debris from designated places, if some of the debris are left at the designated places, then neither contractor of the units nor M/s NFCD agree to remove left debris.

In view of the above, all unit holders and M/s NFCD are hereby directed to obtain permission from Estate Section for taking out debris from SEEPZ-SEZ premises, failing which, strict action will be taken.

This issues with the approval of the Chairperson, SEEPZ-SEZ Authority.

(Mahesh Yadav)
DDC/Estate Manager,
SEEPZ-SEZ Authority

To,
All unit holders and Public Utilities

Copy to:

1. Specified Officer, SEEPZ-SEZ
2. Assistant Security Officer, SEEPZ-SEZ
3. Caretakers